संख्या- 32/2018/1127 /अड़तीस-5-2018-5 बजट/2016 टी0सी0(1)

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास, जवाहर भवन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2018

विषयः बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-13 की पी0एल0ए0 में रखी गयी रू0 7.35444 करोड़ की धनराशि में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु बुन्देलखण्ड के 06 जनपदों के ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु रू0 50.324 लाख की धनराशि व्यय किये जाने के लिए उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति । (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-245/ अड़तीस-5-17-5 बजट/ 2016 (।) टी0सी0, दिनांक 31 मार्च, 2017 तथा शासनादेश संख्या-252/ अड़तीस-5-17-5 बजट/ 2016 (।) टी0सी0, दिनांक 31 मार्च, 2017 का क़पया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-13 में रू0 7.35444 करोड़ की धनराशि पी0एल0ए0 में रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 326/अड़तीस-5-2017-5 बजट/2016 (1) टी0सी0, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में 07 जनपदों में इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोरिंग कार्य में व्यय हेतु रू0 53.47 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-525/ अड़तीस-5-2017-5 बजट/2016(1) टी0सी0, दिनांक 25 मई, 2017 द्वारा रू0 631.65 लाख की धनराशि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2017 में से उपयोग/ व्यय हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- संदर्भित मामले में मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-148/ 2042-0072/ 2018, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा किये गये अनुरोध तथा आपके पत्र संख्या- 1354/ कार्यक्रम अनुभाग/ पेयजल/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र/ 2017-18, दिनांक 27 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-525/ अड़तीस-5-2017-5 बजट/2016(1) टी0सी0, दिनांक 25 मई, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु बुन्देलखण्ड के 06 जनपदों (झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट एवं महोबा) में उ0प्र0 जल निगम एवं ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के आंशिक रूप से बन्द ग्रामों की जलापूर्ति के सुदृढ़ीकरण/ पुनरोद्धार/ विस्तार करते हुए पूर्ण रूप से कार्यशील किये जाने हेतु कुल रू0 50.324 लाख (रूपये पचास लाख बत्तीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण अपर आयुक्त लेखा, ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय, लखनऊ द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय "बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था" के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के 06 जनपदों (झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट एवं महोबा) में उ0प्र0 जल निगम एंव ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के आंशिक रूप से बन्द

ग्रामों की जलापूर्ति के सुदृढ़ीकरण/ पुनरोद्धार/ विस्तार करते हुए पूर्ण रूप से कार्यशील किये जाने हेतु शासन द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/ कार्यों हेतु ही की जायेगी।

(3) उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपर्युक्त कार्ययोजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का लेखा-जोखा अलग से रखते हुए कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जायेगा।

(4) कार्ययोजना में जिन योजनाओं में राइजिंग मेन का प्राविधान किया गया है, उनके कार्य कराने से पूर्व राइजिंग मेन की डिजाईन कराकर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(5) कार्ययोजना में मात्र अनुमान के आधार पर प्रस्तावित कार्यों का सम्पादन कार्य के दौरान वास्तविक आवश्यकता का औचित्यपूर्ण आंकलन करने के उपरान्त ही आंकलन के अनुसार कराया जायेगा।

(6) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/ योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/ उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढ़ंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी का होगा और उनके द्वारा तदनुसार ग्राम्य विकास विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र ग्राम्य विकास विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) निर्माण कार्यों को निर्धारित विशिष्टयों/ मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा। अन्य उच्च विशिष्टयॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्यों के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(10) उपर्युक्त कार्ययोजना के अन्तर्गत जल निगम द्वारा कराये गये कार्यों की समयबद्धता एवं गुणात्मकता भी सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी और इसके लिए उ0प्र0 जल निगम से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/बी-1-746/ दस-2016-231/ 2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्राविधानों/ दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 302/ ई-2/ दस-2017, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

संख्याः 32/2018/ 1127 (1)/अड्तीस-5-2018-5 बजट/2017 टीसी (1), तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/ झांसी मण्डल, झांसी।

(5) जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट एंव महोबा।

(6) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

(8) मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।

(9) अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1354/ कार्यक्रम अनुभाग/ पेयजल/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र/ 2017-18, दिनांक 27 मार्च, 2018 के क्रम में।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।

(11)गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।